

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>22-04-2018 खण्डपीठ को 23</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप० आरोपी सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप०।</p> <p>फरियादी राजेश एवं आहत सीमा उप०। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर द्वारा की गई है।</p> <p>आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323-दो शीर्ष एवं 508 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उक्त धाराय न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी राजेश एवं आहत सीमा ने आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा</p>	<p>21/5/21</p> <p>सीमा</p> <p>Subscribed by me</p> <p>दि. 22-04-2018</p> <p>व्यक्ति सिंह</p>

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Sw.
Part
Pleaden
necessar
थान

प्रकारो के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी धर्मन्द्र जाटव को भा0द0स0 की धारा 294, 323-दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य क1- राजेश

क2-

PN
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क0 23 गोहद